**फर्द अहकाम**

**नियम ( 26 )**

## अज अदालत–सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा

| वादी/प्रार्थी | बनाम | प्रतिवादी/अप्रार्थी |
|---|---|---|
| मानसिंह पुत्र जामतसिंह व मोड़सिंह पुत्र जामतसिंह कौम राजपूत सा0 थूर तह. जसवंतपुरा | | हरिसिंह पुत्र जामतसिंह वगैरा (3) कौम राजपूत सा0 थूर तह. जसवंतपुरा |

किस्म मुकदमा – राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / प्रार्थना-पत्र नंबर – 9/2019/20

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.11.19 | प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रणछोड़राम द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत धारा 136 L.R. Act 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 28.11.19 20 को पेश हो। <br>[हस्ताक्षर] <br>**उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा** <br>**जिला-जालोर (राज.)** | |
| 28.11.19 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता हाजिर। तहसीलदार जसवंतपुरा का नोटिस तामिल प्राप्त। साथ ही अप्रार्थीगण सं. 1 ने जरिये शपथ पत्र सहमति प्रदान की है। फैसल वास्ते निर्णय तारीख 5-12-19 को पेश हो। <br>[हस्ताक्षर] | |
| 5.12.19 | पत्रावली आज पेश हुई। <br><br>प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि सरहद मौजा थूर के आराजी खसरा नं. 896, 897, 898, 903,904 को दिनांक 12.5.1993 को जरिये रजिस्ट्रड दस्तावेज बेचानकर्ता पुनमचंद वल्द मगाजी कौम महाजन सा0 थूर से प्रार्थीगण ने खरीदी थी। तब से संपूर्ण आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। <br>[हस्ताक्षर] | |

Scanned by CamScanner

दस्तावेज बेचान खातेदारी हक लिखते वक्त खरीददार की हैसियत से सम्पूर्ण आराजी में हिस्साकशी नही खोली गई थी जबकि प्रार्थीगण भानसिंह, मोडसिंह 1/2 हिस्सा तथा भंवरसिंह वल्द चतरसिंह 1/4 हिस्सा व गणपतसिंह पुत्र बलवंतसिंह 1/4 हिस्से के अनुसार मौके पर कब्जाकाश्त भी है।अतः प्रार्थीगण को दस्तावेज बेचान खातेदारी हक प्रतिफल चुकाए व कब्जाकाश्त अनुसार प्रार्थीगण भानसिंह पुत्र जामतसिंह का 1/4 हि0 , मोडसिंह पुत्र जामतसिह का 1/4 हि0 तथा अप्रार्थीगण सं0 1 हरिसिंह पुत्र जामतसिंह का 1/4 हि0 व अप्रार्थीगण सं. 2 गणपतसिह पुत्र बलवंतसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात के अध्ययन के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण भानसिंह पुत्र जामतसिंह का 1/4 हि0 , मोडसिंह पुत्र जामतसिह का 1/4 हि0 तथा अप्रार्थीगण सं0 1 हरिसिंह पुत्र जामतसिंह का 1/4 हि0 व अप्रार्थीगण सं. 2 गणपतसिह पुत्र बलवंतसिंह का 1/4 हिस्सां दर्ज किये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा थूर के आराजी खसरा नं. 896 रकबा 0.01 है0, 897 रकबा 0.04 है0, 898 रकबा 2.42 है0, 903 रकबा 0.90 है0,904 रकबा 2.07 है0 को दिनांक 12.5.1993 को जरिये रजिस्ट्रड दस्तावेज अनुसार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण भानसिंह पुत्र जामतसिंह का 1/4 हि0 , मोडसिंह पुत्र जामतसिह का 1/4 हि0 तथा अप्रार्थीगण सं0 1 हरिसिंह पुत्र जामतसिंह का 1/4 हि0 व अप्रार्थीगण सं. 2 गणपतसिह पुत्र बलवंतसिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने हेतू तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है। तहसीदार जसवंतपुरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करे।

मिसल फैसल होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो

Scanned by CamScanner